न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महुवा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज शिवराम बनाम धन्ना वगै मु. सं. 14/23 (T.I)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दि 19/10/23 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। इस प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित मूल वाद प्रा०पत्र धारा 251-A राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 का निस्तारण हो चुका है। इसलिए इस प्रा०पत्र का अब आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। प्रा०पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। दि० 03.03.2023 को जारी अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा vacate की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारीः—नीतू करोल ,आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 08 / 23 (विविध) उनवान

शिवराम पुत्र श्री मूल्या जाति मीना निवासी खारी की झौपडी, ग्राम पंचायत बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा (राज.)

——सायल / प्रार्थी

बनाम

1. धन्ना पुत्र रामसहाय
2. रामकिशन पुत्र टुण्डा

} समस्त जाति मीना निवासी खारी की झौपडी, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा (राज.)

3. सुरेश पुत्र टुण्डा
4. मनीषा पत्नी हरिमोहन जाति मीना निवासी खेडा, तहसील बसवा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार मंडावर जिला दौसा

——गैरसायलान / अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा—251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1. श्री भुवनेश त्रिवेदी एडवोकेट—प्रार्थी
2. श्री धर्मसिंह राजवूत एडवोकेट—अप्रार्थीगण
3. नायब तहसीलदार बैजूपाडा— सरकार पैरोकार

निर्णय

दिनांक—19 / 10 / 2023

सायल की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 81 / 0.35, 82 / 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम खारी की झौपडी, पटवार हल्का बावडीखेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है।

प्रार्थी अनुसूचित जन जाति वर्ग के सदस्य है जो खेत पर कृषि एवं पशुपालन करने लिये खेत पर खसरा नम्बर 81 व 82 में कुछ भाग में मकान बना रखा है बाकि भाग पर कृषि एवं पशुपालन करते है। खसरा नम्बर 81 व 82 में जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 71 गै0मू0 रास्ते से लगता हुआ खसरा नम्बर 75 व 72 के मध्य में होकर, खसरा नम्बर 73, 74 के मध्य में होकर, खसरा नंबर 79, 80 व 147 के मध्य में होकर, खसरा नम्बर 81 व 146 के मध्य में होकर खसरा

नंबर 82, 84 व 144 के मध्य में होकर रास्ता मौके पर व राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में मौजूद है। यह रास्ता खसरा नंबर 71 गै.मु. रास्ता ग्राम हिंगोटा से खारी की झौपडी व स्कूल (खारी की झौपडी) खसरा नंबर 25 गै.मु. तलाई तक जा रहा है। खसरा नम्बर 71 गै. मु. रास्ते से जाने वाला उपरोक्त रास्ता जिसे विवादित रास्ते के रूप में संबाधित किया जा रहा है यह रास्ता खसरा नम्बर 71 से खसरा नम्बर 85 गै0मु0 कुए तक जाता है व मौके पर चालू रास्ता है। यह करीब 50 वर्ष पुराना है। प्रार्थी के अलावा सैकडो लोग इस सार्वजनिक रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 72 व 75 के मध्य में नक्शा ट्रेस में अलग से रास्ता बना हुआ है। इसी प्रकार खसरा नंबर 80, 74 व 73 के मध्य में होकर रास्ता का अलग अंकन नक्शा ट्रेस में हो रखा हे। खसरा नंबर 79 व 147 के मध्य मे भी रास्ते का अलग से अंकन हो रहा है। खसरा नम्बरा 81 व 146 के मध्य में भी रास्ते का अलग से अंकन नक्शा ट्रेस में हो रहा है। खसरा नम्बरा 82, 84 एवं 144 में भी नक्शा ट्रेस में अंकन हो रहा है। नक्शा ट्रेस देखने से भी स्पष्ट है कि संवत 2045 का चालू रास्ता अलग है व मौके पर रिकॉर्ड में 50 वर्षो से रास्ता चालू है। यह रास्ता खसरा नम्बरा 72, 73 , 146, 147, 144 में होकर जा रहा है। वैसे चालू नक्शा ट्रेस में रास्ते को अलग से दर्शाया हुआ है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 81, 82 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। उक्त बताया विवादित रास्ता ही एक मात्र रास्ता वादी के खेत को जाने का रास्ता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बरान 72, 73, 147, 146,144 वाके ग्राम खारी की झोपडी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में होकर 30 फिट रास्ते की मांग हेतु अदालत से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करनो को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया हम उत्तरदाता की खातेदारी की आराजी में होकर खसरा नम्बर 81, 82 को कभी भी रास्ता नही रहा है। उत्तरदाता सभी अपने परिवार सहित खसरा नम्बर 72 लगायत 75 में दोनों तरफ मकानात का निर्माण कर रखा है यानि आबादी बसी हुई है तथा उक्त आबादी को आने जाने हेतु स्वयं के उपयोग उपभोग हेतु निजी रास्ता छोडा हुआ है जो कि उत्तरदाता की आबादी तक ही जाता है तथा अन्त में उसमें पाटौल पाशा डली होने के कारण आगे रास्ता बन्द है तथा उक्त रास्ता का उपयोग

उपभोग हम उत्तरदाता अपने स्वयं के उपयोग के लिये करते रहे है तथा पाटौल पोश से आगे किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है। उससे आगे हमारी खातेदारी की आराजी है जिसे हम कृषि कर उपयोग कर रहे है। हाल नक्शा सीट में रास्ते का इन्द्राज प्रार्थी द्वारा मिली भगत कर गलत रूप से करवाये है जो सही नहीं है। प्रार्थी सहित अन्य सभी सहखातेदारों का आने जाने का अलग से रास्ता मौजूद है लेकिन उक्त रास्ता जो कि उत्तरदाता की आबादी की भूमि तक ही उस रास्ता को ही जबरन लेना चाहता है जिसे उसके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा पेश किया है जो कि खारिज होने योग्य है। प्रार्थी उत्तरदाता की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 72, 73, 146, 147, 144 में होकर कभी रास्ता नहीं रहा और ना ही वर्तमान में ही रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा आवासीय मकान को आने–जाने हेतु सीधे रास्ता की मांग की गयी है जबकि उसे अन्य सहखातेदारों के साथ ही कृषि कार्य हेतु तो अलग से रास्ता मौजूद है जिसे वह उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। जिसे नहीं दर्शाकर उत्तरदाता की आबादी में होकर रास्ता की चाहत रखता है जिससे की उत्तरदाता को परेशानी उत्पन्न कर सके। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

इसके उपरान्त तहसीलदार बैजूपाडा से मौका व रिकॉर्ड की रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार प्राप्त हुई कि ग्राम खारी की झोपडी के आराजी खसरा नम्बर 81 व 82 का मौका निरीक्षण किया गया। राजस्व रिकॉर्ड नक्शे की छायाप्रति भू प्रबंधन कार्यालय अलवर द्वारा जारी दिनांक 16.10.96 में डोटेड लाईन व वर्तमान नक्शे में लाईन खसरा नम्बर 72, 73, 144, 146, 147 के उत्तरी सिरे में गुजर रही है जिससे प्रतीत होता है कि सेटलमेन्ट संवत 2045 से ही उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता चालू था जो कि आराजी खसरा नम्बरान 71 से 85 तक उक्त खसरानों में से होकर जाता है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 76, धन्ना पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/2, मनीषा पत्नी हरिमोहन हिस्सा 1/4, रामकिशन पुत्र टुण्डा हिस्सा 1/12, राहिन केनरा बैंक शाखा मंडावर, सम्पति पत्नी टुण्डा हिस्सा 1/12 राहिन पी0एन0बी0 शाखा बैजूपाडा, सुरेश पुत्र टुण्डा हिस्सा 1/12 राहिन पी.एन.बी. बैजूपाडा दर्ज जमाबंदी अनुसार है। उक्त खाता संख्या के आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से (28 x 5) 140 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से (42 x 5) 210 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से (36 x 5) 180 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से(24 x 5) 120 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 73

रकबा 0.22 हैक्टेयर में से (34 x 5) 170 वर्गमीटर, कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 820 वर्गमीटर के अलावा अन्य कोई कम दूरी का वैकल्पिक रास्ता नही पाया। इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति इस आशय की पेश कि प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2023 को पटवारी हल्का बावडीखेडा एवं गिरदावर सर्किल बैजूपाडा द्वारा तैयार की तथा मौका रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस दिनांक 22.08.2023 को तैयार किया गया है। मौका रिपोर्ट तैयार करते समय ना तो अप्रार्थीगण को सुना गया ना ही उनके सामने किसी भी प्रकार की रिपोर्ट तैयार की गयी है। उसके साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता बताया है वह भी तैयार करते वक्त आपत्ति कर्ता को नही सुना क्योकि मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का बावडीखेडा एवं गिरदावर सर्किल द्वारा मौके पर जाकर तैयार नही गई यदि मौके जाकर तैयार की जाती तो उसके समक्ष नक्शा तैयार होता जिससे यह पता चलता की किस खसरा नम्बर में से कितना रकबा जा रहा है जबकि इस रिपोर्ट में नक्शा ट्रेस बाद में तैयार किया गया है तथा रिपोर्ट पहले तैयार की गयी है। पटवारी हल्का व गिरदावर सर्किल द्वारा रास्ता बनाया गया वहॉ पर आबादी बसी हुई है तथा आबादी में बीच में रास्ता दिया गया है जो कि किसी भी प्रकार से उचित नही है। जबकि प्रार्थीगण उत्तरदाता के आबादी के बीच में किसी भी प्रकार का रास्ता नही है। आपत्ति स्वीकार कर मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2023 व 22.08.2023 को निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारी ने स्वयं विवादित भूमि का मौका देखना उचित समझा । पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनो पक्षो को मौके पर उपस्थित रहने के नोटिस तामिल कराने के उपरान्त दिनांक 16.10.2023 को स्वयं द्वारा मय तहसीलदार बैजूपाडा एवं राजस्व टीम के साथ मौका देखा गया एवं उभय पक्ष की उपस्थिति में विवादित भूमि के खसरा नम्बरान 144, 146, 147, 73, 72 एवं खसरा नम्बरान 81, 82 का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरा नम्बरो में होकर कदीमी रास्ता है जो उपरोक्त खसरा नम्बरो के उत्तरी सीमा से गुजरता है व 16.10.2023 को मौका पर्चा तैयार कर तहसीलदार बैजूपाडा ने अपने पत्रांक भू.अ./2023/1186 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा प्रस्तुत किया। तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा दिनांक 23.08.2023 को प्राप्त व दिनांक 16.10.2023 को प्रस्तुत दोनो मौका रिपोर्टों व नक्शा ट्रेसों मे कोई अन्तर प्रतीत नही होता है।

उक्त मौका पर्चा दिनांक 16.10.2023 की नकल अप्रार्थीगण के अभिभाषक को दिलवाई गई।

वकील उभय पक्षों की अंतिम बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया की तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा भेजी गई रिपोर्ट मे बताये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक, सबसे नजदीक रास्ता मौजूद नही है। राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के अनुसार विवादित रास्ते में कोई आबादी नही बसी हुई है । विवादित रास्ते में पाटौल तनी होना जो अप्रार्थीगण तहसीलदार बैजूपाडा की दिनांक 23.08.2023 को प्राप्त रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 में स्पष्ट अंकित किया है कि खसरा संख्या 147 पर एक पाटौल चढाकर रास्ता अवरूद्ध किया है जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.03.2023 में अंकित किया कि वर्तमान में चालू रास्ते को जोतकर भैंस बांधकर एवं पाटौल चढाकर रास्ता अवरूद्ध किया है। संबंधित पक्षकारो को मौके पर बुलाया एंव श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय मंडावर के अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 03.03.2023 की पालना हेतु पाबंद किया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा पाटौल प्रार्थी द्वारा रास्ते हेतु प्रार्थना न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं दिनांक 03.03.2023 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा चालू रास्ते को पाटौल डालकर अवरूद्ध किया है। न्यायालय के आदेश की खुलेआम अवहेलना की है। जिसकी प्रार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष दिनांक 13.04.2023 को एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 सी.पी.सी. प्रस्तुत की जिसकी आज तारीख पेशी नियत है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस कहा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस सुनी । पत्रावली व पत्रावली उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अदालत को इस मामले के निस्तारण करने में निम्न बिन्दु तय करने है –

1. प्रार्थी के खेत को जाने का अन्य कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौजूद है अथवा नही ?

2. जिस भूमि में होकर रास्ता मांगा जा रहा है वह भूमि अप्रार्थीगण के स्वामित्य की है अथवा नही ?

उपरोक्त दोनो बिन्दु प्रार्थी के हक में साबित है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 81 व 82 को पहुचने हेतु अन्य कोई वैल्पिक्र एवं निकटतम रास्ता मौजूद नही

अधिकारी एवं ... मण्डावर (दौसा)

है।उक्त तथ्य तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट से प्रमाणित है। जो रास्ता जिस भूमि में होकर मांगा जा रहा है अप्रार्थीगण के स्वामित्व की है। दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के हक में साबित पाये जाते है। अप्रार्थीगण इस तथ्य को प्रमाणित करने में असफल रहे है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीक रास्ता मौजूद है। इस बावत कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नही कर सके। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्राथीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खारी की झोपडी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 144 रकबा 0.39 हैक्टेयर में से (28 x 5) 140 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 146 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से (42 x 5) 210 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से (36 x 5) 180 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.16 हैक्टेयर में से(24 x 5) 120 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से (34 x 5) 170 वर्गमीटर, कुल रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 820 वर्गमीटर भूमि मुताबिक प्रस्ताव व नक्शा गैर0 मु0 रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रिकॉर्ड में अमल–दरामद तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 144, 146, 147, 72, 73 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसीलदार बैजूपाडा के यहां प्रचलित डी.एल.सी. दर से दोगुनी राशि राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें। तहसीलदार बैजूपाडा गैर0 मु0 रास्ता में जाने वाली भूमि रकबा 820 वर्गमीटर की प्रचलित डी0एल0सी0 दर से दोगुनी राशि प्रार्थी से जरिये चैक/डी.डी./प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करने की कार्यवाही करे तथा रास्ते में जाने वाली भूमि आराजी खसरा नम्बरान 144, 146, 147, 72, 73 ग्राम खारी की झोपडी तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में से प्रस्ताव अनुसार 820 वर्गमीटर भूमि बैंक रहन से मुक्त की जाती है शेष भूमि पर बैंक रहन इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजूपाडा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत गैर मु0 रास्ता दर्ज की प्रविष्ठियां की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट * मण्डावर (दौसा) *

Neetu

(नीतू करोल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)